तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट तथा उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत आधार पर वाद ग्रस्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य प्रस्तुत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा प्रस्तुत हुआ है:—

राजीनामा

कि उक्त वाद में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य आपस में समझौता हो गया है जिसके तहत राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजी नामा तस्दीक किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नं0 698 रकबा 1.10 हैक्टर भूमि में काली पुत्री नाथ्या का नाम डिलीट किया जाकर वादीगण प्रत्येक को 1/8, 1/8 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं० 1/1 मांगीलाल का 1/12, प्रतिवादी नं0 1/2 रामलाल का 1/12 यानी उसके वारिसान का 1/60, 1/60 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1/3 बद्रीलाल का 1/12 हिस्सा यानी उसके वारिसान का 1/60, 1/60 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1/4 का 1/12 हिस्सा यानी उसके वारिसान का 1/36, 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1/5 रमेश व उसके वारिस का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1/6 कन्या बाई का 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में हिस्सा सही रूप से दर्ज किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित किये जाने में आपत्ति नहीं है। मुताबिक प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पारित निर्णय अनुसार पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार यदि राजस्व बनता है तो पक्षकारान से लिया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/9/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)